न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32/2016 नामान्तरकरण अपील

1. गोविन्दराम पुत्र रामसहाय दत्तक पुत्र खैराती जाति गुर्जर निवासी उपरेडा तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. मु. भौती पुत्री खैराती स्त्री रामस्वरूप
2. मन्नी पुत्री खैराती स्त्री गंगाविशन
   जाति गुर्जर निवासी पाडला तहसील बसवा जिला दौसा।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 108 दिनांक 12.02.2013 ग्राम उपरेडा तहसील बसवा जिला दौसा खिलाफ आदेश तहसीलदार बसवा जिला दौसा

उपस्थिति :– : श्री कैलाश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
: रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 12.02.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने बिना जांच किये हुये ही उक्त नामान्तरकरण सं. 108 का सजरा बनाया है। पटवारी हल्का एवं तहसीलदार के ज्ञान में होते हुए भी गलत सजरा बनाकर उक्त नामान्तरकरण 108 दिनांक 12.02.2013 तस्दीक किया गया है। उक्त आराजी जेर वर्णित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 एवं अपीलान्ट की दत्तक माता बीला के खिलाफ दावा इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई का दावा सन 1984 में सहायक कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया था जो अभी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त दावे के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। जिसमे दिनांक 09.02.1984 को आराजी वर्णित जेर नामान्तरकरण के साबिका खसरा नम्बर 294 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, एवं 298 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा, 164 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में जो बीला बेवा खैराती व बादाम बेवा कजोड का दर्ज हिस्सा था उसके सम्बन्ध में दावे के निर्णय तक यथावत स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने के आदेश होने व उक्त आदेश प्रभावी होते हुए भी उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। इसलिये तहसीलदार बसवा द्वारा तस्दीक किये गये उक्त नामान्तरकरण सं. 108 दिनांक 12.02.2013 ग्राम उपरेडा तहसील बसवा के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट प्रस्तुत की गई है।

अति० जिला कलेक्ट०
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की और से लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने बिना जांच किये ही उक्त नामान्तरकरण में सजरा बनाया है, जबकि वस्तुस्थिति में अपीलान्ट गोविन्दराम खैराती गुर्जर का दत्तक पुत्र है। उसके बावजूद भी गलत सजरा बनाकर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानूनी त्रूटि की है। अपीलान्ट आराजी वर्णित जैर नामान्तरकरण पर स्व. खैराती के जीवन काल से काबिज काश्त चला आ रहा है। आज भी मौके पर अपीलान्ट का ही कब्जा है। नामा. में कब्जा महत्वपूर्ण बिन्दु होता है। पटवारी हल्का ने उक्त नामा. दिनांक 11.10.2012 को भरा। विरासत के नामान्तरकरण को सर्वप्रथम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। किन्तु बदनीयती से पटवारी हल्का ने ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकण प्रस्तुत नहीं करके बाला–बाला ही तहसीलदार बसवा से तस्दीक करवाकर कानूनी त्रूटि की है। पटवारी हल्का ने नामा. जेर अपील नम्बर 108 दिनांक 12.2.2013 में 10 खातों की जमीन को गलत ढंग से शामिल करते हुए उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया है। नामा. एक फिसक्ल कार्यवाही केवल मात्र लगान वसूली के लिये होती है। उसमें कोई अधिकार तय नहीं होते है। जब पक्षकारो के मध्य दावा चल रहा हो तो नामा. की कार्यवाही को वर्जित किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ग्राम उपरेडा में रहती भी नहीं है। उनका उक्त भूमि पर कोई कब्जा भी नहीं है। वर्णित जेर नामा. में बीला स्त्री स्व. खैराती की भूमि व बादामी के हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त है। व उनके हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में यह अपील की गई है। उक्त नामा. अपीलान्ट के पीछे से कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील स्वीकार फरमाकर नामा. सं. 108 दिनांक 12.02.2013 ग्राम उपरेडा तहसील बसवा को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित वाद उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय में विचाराधीन होना अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया है। जब सक्षम न्यायालय में विवादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित वाद विचाराधीन हो तो इस न्यायालय में नामान्तरकरण अपील पेश किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अधिकार तो वाद से तय होने है। नामान्तरकरण एक फिसक्ल प्रोसिडिंग है। इससे किसी के हक अधिकार तय नहीं होते है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा नामान्तरकरण सं. 108 दिनांक 12.02.2013 ग्राम उपरेडा तहसील बसवा यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official